"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166] रायपुर, गुरुवार दिनांक 14 जुलाई 2005—आषाढ़ 23, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई, 2005

अधिसूचना

फा. क्रमांक- 5729/डी-1027/21-ब/छ.ग./05.—विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 43) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, समस्त जिला कलेक्टरों को उनके संबंधित जिले के लिए विशेष विवाह अधिकारी नियुक्त करती है.

F. No.5729 /D-1027/XXI-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Special Marriage Act, 1954 (No. 43 of 1954) the State Government, in supersession of all previous notifications, hererby, appoints all District Collector's for their respective Districts as Special Marriage Officer.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2005.